



2026:AHC-LKO:10359-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

रिट - सी संख्या - 1119 सन 2026

आशुतोष सिंह

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग लखनऊ
एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	अभिषेक सिंह, अनुज कुमार गुप्ता, श्रद्धा
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुमित जायसवाल, श्रीधर

न्यायालय संख्या - 1

**माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी**

1. सुनवाई हुई।
2. याचिकाकर्ता स्वर्गीय राजेंद्र सिंह और स्वर्गीय त्रिभुवन सिंह के पुत्र हैं। याचिकाकर्ता के पिता स्वर्गीय राजेंद्र सिंह का निधन 06.02.2022 को हुआ था। उनके निधन के बाद, जिला लखनऊ के सहकारी बिक्री अधिकारी द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसे याचिकाकर्ता ने पृष्ठ 12/13 पर संलग्न किया है। जिस नोटिस को चुनौती दी गई है, उसकी प्रति उस समाचार पत्र की फोटोकॉपी है जिसमें यह प्रकाशित हुआ था। समाचार पत्र की प्रति भी अभिलेख में रखी गई है।
3. यद्यपि पिछली सुनवाई में राज्य की ओर से उपस्थित स्थायी अधिवक्ता ने यह कहा था कि निर्देश स्पष्ट नहीं थे, लेकिन आज उन्हीं निर्देशों के आधार पर यह जानकारी मिली है कि याचिकाकर्ता के पिता को उनके जीवित रहते प्रारंभिक नोटिस जारी किया गया था। हमने पाया कि बाद का नोटिस 2022 में

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जारी किया गया है, जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है और इसमें राजेंद्र सिंह को 'दिवंगत' बताया गया है, जिसका अर्थ यह है कि राजेंद्र सिंह, जिन्हें ऋण राशि की वसूली के लिए नोटिस भेजा गया था, की मृत्यु की जानकारी होने के बावजूद भी यह नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस सहायक आयुक्त और सहायक निबंधक, सहकारिता, जिला लखनऊ के कार्यालय में तैनात बिक्री अधिकारी, सहकारिता, जिला लखनऊ के नाम से प्रकाशित किया गया है।

4. उक्त अधिकारी, जिसने नोटिस प्रकाशित करवाया है, सरकारी कर्मचारी है। वसूली योग्य राशि, यह मानते हुए कि इसे लखनऊ सहकारी समिति के बिक्री अधिकारी के माध्यम से वसूला जा सकता है, उसी की वसूली के लिए एक 'मृत व्यक्ति' को नोटिस जारी किया गया है। सरकारी अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जानते हों कि किसी 'मृत व्यक्ति' के विरुद्ध ऐसा कोई नोटिस प्रकाशित नहीं किया जा सकता। यह रिट याचिका इस कार्रवाई के विरुद्ध विचारणीय है, पहला कारण यह है कि यह 1965 के अधिनियम की धारा 91 के अंतर्गत आती है, जैसा कि प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुदीप सेठ ने बताया, और दूसरा यह कि नोटिस एक सरकारी अधिकारी द्वारा एक मृत व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया गया है। धारा 91 के अंतर्गत भी किसी मृत व्यक्ति के विरुद्ध नोटिस जारी नहीं किया जा सकता था।

5. अतः हम इस नोटिस को रद्द करते हैं। तदनुसार, रिट याचिका को अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि संबंधित प्रतिवादियों को अपने पूर्व सदस्य के कानूनी वारिसों/प्रतिनिधियों से, यदि कोई कारण हो, तो विधिवत रूप से राशि वसूल करने का अधिकार सुरक्षित रहे। यह आदेश याचिकाकर्ता द्वारा वाद संख्या 1102/2025 में स्थायी निषेधाज्ञा की मांग के लिए शुरू की गई किसी भी कार्यवाही में बाधक नहीं होगा।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

फ़रवरी 10, 2026

एम.वी.एस./-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।